Non-functioning of Haldia Fertilizer Plant

*388. SHRI VIRENDRA KATARIA: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Haldia Fertilizer Plant has not produced any fertilizer since its inception;

(b) if so, the reasons therefor and the action taken by Government in this regard;

(c) whether it is also a fact that till date no responsibility has been fixed for this colossal loss to the country;

(d) how much money has been spent on the plant till date;

(e) how much salaries have been paid till date, alongwith the monthly salary bill; and

(f) the steps taken to correct the situation?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (च) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ख) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० एच एफ सी की हल्दिया उर्वरक परियोजना ने प्रारम्भण अवस्था के दौरान निम्नलिखित उत्पादों का उत्पादन किया था:—

उत्पाद का नाम	मात्रा मी० टन
अमोनिया	25,147
मेथानोल	7,264
यूरिया	24,193
नाइट्रोफास्फेट	17,214

प्रारम्भण अवस्था के दौरान बारम्बार खराबियों के कारण इस परियोजना के प्रारम्भण क्रिया-क्लाप अक्तूबर, 1986 में बन्द कर दिए गए थे।

(ग) हिन्दुस्तान उर्वरक परियोजना किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के नियंत्रण से बाह्य कारणों की वजह से विफल हुए थे।

(घ) इस परियोजना पर 1996-97 के लिए वित्तीय प्रभारों को छोड़कर, फरवरी, 1997 तक 1001.73 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।

(ङ) इस परियोजना के वेतन पर फरवरी, 1997 तक 149.55 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। वर्तमान में कर्मचारियों का मासिक वेतन बिल लगभग 92 लाख रुपए है।

(च) हल्दिया परियोजना को फिर से चालू करने के लिए विभिन्न विकल्पों का पता लगाया गया था। इसके पुनरुद्धार को प्रौद्योगिकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया था। इस परियोजना के पुनर्वास के लिए प्रचलित मूल्य स्तरों पर 1300 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मानक आकार का एक नया अमोनिया/यूरिया संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता होगी। अपेक्षित नव निवेश की मात्रा को देखते हुए इसके पुनर्वास के लिए निजी पूंजी को आकर्षित करने का निर्णय लिया गया है। चूंकि एच एफ सी एक कम्पनी के रूप में औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोडर (बी आई एफ आर) को निर्दिष्ट है, अतः हल्दिया परियोजना की भावी स्थिति के संबंध में कोई भी अंतिम निर्णय बी० आई० एफ० आर० के समक्ष लंबित कार्रवाईयों के निष्कर्ष पर निर्भर करेगा।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: सभापति जी, माननीय मंत्री जी, जो यहां उपस्थित हैं और कई सालों से मजदूरों के लिए लड़ते आए हैं, उन्होंने जो अपना जवाब दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि 17 फर्टिलाइज़र कम्पनियां बंद हो गई या बी० आई० एफ० आर० को जांच के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए या टैक्निकल रीज़न के लिए दी गई है। सभापति जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो दो बड़ी कम्पनियां पब्लिक सैक्टर में हैं—फर्टिलाइज़र कारपोरेशन आफ इंडिया व हिन्दुस्तान फर्टिलाइज़र कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, इन दोनों के लिए कई बातें पिछले कई दिनों से, करीब एक साल से, कही जा रही हैं। 20.04.95 को एक ग्रुप बना था और उस ग्रुप के पास उनके ब्रम्पलाइज़ के लिए, उनकी मदद करने के लिए 2201.93 के लगभग—एक कम्पनी के लिए 1700 करोड़, एक कम्पनी के लिए 1400 करोड़ के लगभग राशि देने की बातें कही गई थीं, लेकिन आज तक उस ग्रुप में क्या फाइनेलाइज़ हुआ, क्या स्टेप लिए गए, यह आज तक नहीं बताया गया है। पहले आपने लोक सभा में इसी तरीके के जवाब में यही बात कही थी कि तीन कम्पनियां हैं, जो कभी 17 हो गई। तो मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदय, यह जानना चाहता

हूं कि यह जो बड़ी-बड़ी फर्टिलाइज़र कम्पनियां दिन-प्रतिदिन बंद होती जा रही हैं, उनको बंद होने से रोकने के लिए क्या कंक्रीट स्टेप सरकार लेने जा रही है और जो गरीब मजदूर हैं, जिनकी सुविधा छीनी जा रही है, जो दिन-प्रतिदिन बेकार होने जा रहे हैं, उनके लिए सरकार के पास कौन सी ठोस योजना है?

श्री शीश राम ओला: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो मुझे पूछा है, कभी मैंने लोक सभा में 3 के लिए नहीं कहा। इन्होंने खासतौर से पूछा है कि ऐसी कितनी कंपनियां बी० आई० एफ० आर० को जा रही हैं या गई हैं। यह संख्या 17 है, यह मैंने आपके माध्यम से जानकारी दी है और इन में 15 कंपनियां प्राइवेट हैं, 2 कंपनियां पब्लिक अंडरटेकिंग हैं। प्राइवेट कंपनियों के लिए उनकी स्वयं की जिम्मेदारी है लाभ में रहें तो चलाएं, लाभ में न रहें तो बंद करें। यह उनका कार्य है, हमारा कार्य नहीं है। फिर भी आपने उनकी संख्या ज्ञाननी चाही थी, वह मैंने आपको बता दिया है।

आपने खासतौर से एक बात पूछी है कि एच० एफ० सी० और एफ० सी० आई० की एक रिवाईवल योजना 1995 में बनी। मैं इसे स्वीकार करता हूं। महोदय, 1995 के अप्रैल माह में यह योजना स्वीकृत हुई उस योजना के तहत एच० एफ० सी० को 465 करोड़ रुपए और एफ० सी० आई० को 1,736 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए सरकार को देने थे। सरकार वह धन नहीं जुटा पाई और अंत में यह कहा गया कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से पूछा जाए और वे इसके लिए व्यवस्था करें। वित्तीय संस्थाओं ने यह कहा कि हम इस प्रोजेक्ट से, इस योजना से सहमत नहीं हैं। इसमें हम शामिल नहीं हो सकते। तो हमारे विभाग ने आई० सी० आई० सी० आई० को लीडर बनाकर एक ग्रुप बनाया जिसमें आई० डी० बी० आई०, एच० एफ० सी० और एफ० सी० आई० को मेंबर बनाया और अब एक नया पैकेज तैयार हुआ है। इसमें एफ० सी० आई० की सिन्दरी यूनिट के लिए 532 करोड़ रुपए, रामगुंडम के लिए 953 करोड़ रुपए तालचर के लिए 1,153 करोड़ रुपए, यानी कुल 2,638 करोड़ रुपए दिए जाने की सिफारिश उन्होंने की है। उन्होंने यह भी कहा है कि 1,348 करोड़ रुपए सरकार को माफ कर देने चाहिए, जो उनके और दायित्व बाकी हैं लोन वगैरह के और 1075 करोड़ रुपए का जो कर्ज़ है, उसे इक्वटी में परिवर्तित कर देना चाहिए। यह उन्होंने सिफारिश की है एफ० सी० आई० के लिए।

इसी प्रकार से उस ग्रुप ने एच० एफ० सी० के लिए भी सिफारिश की है। उन्होंने दुर्गापुर यूनिट के लिए 250 करोड़ रुपए, बरौनी के लिए 269 करोड़ रुपए और नामरूप के लिए 349 करोड़ रुपए की सिफारिश की है। ये तीन यूनिट हैं। इनमें एक यूनिट काम कर रही है और एक यूनिट बंद है और एक कभी ठीक कर रही है कभी नहीं कर रही है। इस तरह से उन्होंने इसके लिए 868 करोड़ रुपए दिए जाने की सिफारिश की है और ये कर्ज़ माफी चाहते हैं करीब 3,261 करोड़ रुपए की। यह सिफारिश उस ग्रुप ने की है। यह ग्रुप 1996 में बना था। क्योंकि जो पैकेज 1995 में बनाया गया था उसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह इसमें शरीक नहीं थे एवं तकनीकी दृष्टिकोण से वह इससे सहमत नहीं थे। इसलिए अब उनकी एक ताजा रिपोर्ट आई है। यह रिपोर्ट सरकार के पास जा रही है। इसका जो निर्णय होगा, उससे आपको अवगत करा दिया जाएगा।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: सभापति महोदय, मैं आपकी ओर से एक अपेक्षा रखता हूं कि यहां माननीय मंत्री चतुरानन मिश्र जी उपस्थित हैं। यह कृषि मजदूरों का सवाल है। यह जो दोनों फर्टिलाइजर कम्पनियां पब्लिक सैक्टर की हैं और एक प्रपोजल बना था कि इफ्को, कृभको और कृषक भारती जो अभी अच्छी कंडीशन में है, जो अपनी कम्पनियां हैं वह नए-नए स्पोंसर के लिए भी जाती हैं। तो क्यों आप ऐसी योजना नहीं बनाते है कि इन दोनों कम्पनियों के जितने असेट्स हैं, उनके एम्प्लोइज हैं वह यह तीनों कम्पनियां संभाल लें और उनके जितने एम्प्लोइज हैं वह सब बच जाएं। मैं चतुरानन मिश्र जी से यह बात जानना चाहता हूं कि यह गरीब एम्प्लोइज का सवाल है। क्यों? क्योंकि आज तक गुजरात में कपड़े की मिलें बंद हो गई हैं, उनके काफी कारीगर बेकार हो गए, कई मर गए और कई के बच्चे भीख मांगते हैं। ऐसी परिस्थितियां कपड़ा मिलों की हो गई हैं। बी०आई०एफ०आर० में यही होने वाला है। कई साल से हम यही बात सुनते आते हैं कि बी०आई०एफ०आर० के पास मामला पड़ा हुआ है, तय हो रहा है, विचाराधीन है, यह हो रहा है। इससे कुछ होने वाला ही नहीं है। लेकिन यह जो तीनों बड़ी-बड़ी कम्पनियां है, इन दोनों को आप ले लीजिए।

श्री शीश राम ओला: सभापति जी, वह कम्पनियां कोआपरेटिव क्षेत्र की हैं। उनसे पूछा गया तो उन्होंने मना कर दिया कि हम सिक यूनिट को लेने को तैयार नहीं हैं।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: पहले प्रपोजल बनी थी।

श्री शीश राम ओला: आप बात कहने दीजिए मेहरबानी से। हम आपकी बात सुनते हैं तो सुनने की क्षमता रखिए। हम आपको साफ उत्तर दे रहे हैं, सुनने को तैयार नहीं है।

उन्होंने सिक यूनिट को लेने के लिए मना कर दिया। मैं फोर्स तो नहीं कर सकता। उनका बोर्ड है, उनका विधान है, उनका कानून है उसके तहत चलती हैं। जैसा मैंने माननीय सदस्य को अपने उत्तर में निवेदन किया है हम कोशिश कर रहे हैं कि यह रिवाइवल हो और इसके लिए सरकार के पास जा रहे हैं। क्या निर्णय आएगा उससे अवगत करा देंगे।

श्री सोमपाल: सभापति महोदय, एक तरफ तो सार्वजनिक क्षेत्र की यह उर्वरक इकाईयां बंद पड़ी हैं और दूसरी ओर निजी क्षेत्र की बहुत बड़ी उर्वरक इकाईयां जो गैस को अपना कच्चा माल मानकर स्थापित की गई थीं उन्हें जितनी आश्वस्त मात्रा में सरकार ने देने का वचन दिया था वह गैस उनको उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इस कारण उनके उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। परिणाम यह है कि बहुत सारा उर्वरक विदेशी मुद्रा व्यय करके विदेश से आयात करना पड़ रहा है प्रति वर्ष। तो ऐसी कौन सी इकाईयां हैं और किन कारण से उनको उस निर्धारित मात्रा में गैस नहीं दी जा रही है और मंत्री जी इस दिशा में क्या कदम उठाने जा रहे हैं जिससे उनको जो करार किया गया था मूल रूप में उतनी गैस उपलब्ध कराई जाए?

श्री शीश राम ओला: सभापति महोदय, प्रथम तो गैस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है और दूसरे, माननीय सदस्य ने यह क्वेश्चन पूछा नहीं है। यह इरिलिवेंट क्वेश्चन है। पूछेंगे तो मैं इसका उत्तर लाऊंगा।

श्री वीरेन्द्र कटारिया: चेयरमैन साहब, शुक्रिया। भारत कृषि प्रधान देश है जहां कृषि को बढ़ावा देने के लिए फर्टिलाइजर की बेहद जरूरत है। लेकिन फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन किस तरीके से हमारे मुल्क में चलती है यह बड़े अफसोस की बात है। जिस तरीके की हमारी चार पब्लिक सैक्टर फर्टिलाइजर यूनिट हैं— हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया, आर०सी०एफ० और नेशनल फर्टिलाइजर, उनमें दो यूनिट हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर और फर्टिलाइजर कारपोरेशन के जितने यूनिट हैं वह सारे के सारे सिक पड़े हुए हैं और हम उनको ठीक करने के बजाय करोड़ों रुपए खर्च करके अपना बेशकीमती जो फोरेन एक्सचेंज है उसको यूज करके बाहर के मुल्कों से फर्टिलाइजर मंगाते हैं और हल्दिया फर्टिलाइजर के बारे में मैंने जो सवाल किया है 10 साल से यह बंद पड़ी है। करोड़ों रुपए इसके बनाने पर खर्च हुए और यह थोड़े दिन भी नहीं चल पाया। जो फिगर्स मंत्री महोदय ने दी है उसकी यह प्रोडक्शन हुई है यह तो कोई बात ही नहीं है। There is no production at all. मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि बजाय यह कहें कि बी०आई०एफ०आर० को इन्होंने इसको रैफर कर दिया है। मेरा सवाल इनसे बड़ा सीधा था कि 10 साल से यह कारखाना बंद पड़ा है। करोड़ों रुपए इसकी लागत पर खर्च आए हैं।

[1] [Transliteration in Arabic Script]

†मंत्री वीरेन्द्र कुमार चौधरी "जारी": जब से यह बंद पड़ा है 1986 से - तब से 28 करोड़ रुपया इस पर खर्च हो चुका है - मेरा पहला सवाल यह है कि 28 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद और एक करोड़ रुपया इस पर हर साल खर्च करते हैं, इस चीज़ को रोकने के लिए और इसको रिवाईव करने के लिए इन्होंने क्या इफेक्टिव स्टेप्स उठाए हैं? साथ ही मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि सारी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पर कि फर्टिलाइज़र्स के कारखानों की ऐसी दुर्दशा हुई हो कि दस साल से कारखाना बंद पड़ा हो और उसको रिवाईव करने के लिए कोई कदम न उठाए गए हों। तो यह मैं आपसे पहले सवाल के माध्यम से जानना चाहता हूं स्पेसिफिकली बताएं। इन्होंने जवाब दिया है कि किसी आदमी का कंट्रोल नहीं था इसको रिवाईव करने के लिए तो यह तो हो ही नहीं सकता। इसमें कितने मुल्कों की टेक्नीकलिटीज़ लगाई गई हैं? जितने कारखाने फर्टिलाइज़र्स के हैं, उनमें एक ही टेक्नीकल सिस्टम चलता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि हल्दिया कारखाने में कितने मुल्कों की टेक्नीकलिटीज़ लगाई गई है और किस वजह से यह कारखाना बंद पड़ा है? इसके लिए इन्होंने कोई कार्यवाही की है ताकि इसके लिए रिस्पांसिबिलिटी फिक्स की जाए?

†[ ]Transliteration in Arabic Script

اسکے لئے انھوں نے کوئی کارروائی
ہے تاکہ اسکے لئے کیسا انسینٹیو
فکس" کی جائے۔]

श्री शीश राम ओला: सभापति जी, हल्दिया कारखाने की शुरुआत 1972 से की गई और 1972 के बाद इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले माननीय....**(व्यवधान)**...

श्री एस०बी० चव्हाण: उससे क्या फर्क पड़ता है?

श्री शीश राम ओला: मैं जो जवाब दे रहा हूं, वह तो सुन लीजिए।...**(व्यवधान)**...

श्री एस०बी० चव्हाण: आप सवाल का जवाब दीजिए।

श्री शीश राम ओला: आप नाराज़ क्यों हो गए? मेरी बात तो सुन लीजिए। क्या तकलीफ हो गई? मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा हूं। 1972 से यह कारखाना शुरू किया गया। सबने शासन किया है। इस कारखाने को सम्पूर्ण रूप से चलाने के लिए आज की सरकार कहां दोषी है? यह कारखाना 1972 में शुरू किया गया। ....**(व्यवधान)**... मुझे उत्तर देने दीजिए। आप पूछिए, ज़रूर पूछिए। 1972 में यह कारखाना बना और तब कहीं से एक राष्ट्र की एक मशीन आ गई, दूसरे राष्ट्र की एक मशीन आ गई, तीसरे राष्ट्र की एक मशीन आ गई। इसका ठीक से निर्माण जो होना चाहिए था, वह नहीं हो सका। बंगाल सरकार ने इनसे जो वादा किया था बिजली देने का, वह बिजली नहीं दी गई। बिजली नहीं दी गई तो मशीन ठीक से नहीं चल सकी, कमीशन भी नहीं हुआ उसका, मैं तो यही कहूंगा एक प्रकार से थोड़ा सा उसका कार्य शुरू हुआ और उसमें प्रोडक्शन पूरे कमीशन का नहीं हुआ। उसके बाद इस कारखाने पर लगभग 92 लाख रुपए तनख्वाह के मंथली दिए जा रहे हैं। वहां पर करीब 1500 आदमी कार्यरत है और इसके रख-रखाव पर और तनख्वाह को मानकर एक करोड़ 52 लाख रुपए मंथली इस प्लांट में खर्च करने शुरू कर दिए हैं। दो साल पहले 1 करोड़ 25 हजार थे, अब बढ़ते-बढ़ते, 1 करोड़ 52 लाख हो गए हैं। यह कारखाना बंद है, प्रोडक्शन दे नहीं सकता, मशीनें ठीक से चल नहीं सकतीं, पुरानी टेक्नालॉजी है। पुरानी टेक्नालॉजी होने के कारण ये मशीनें नहीं चल पा रही हैं। जादू से कोई काम होता नहीं है। वह तो कायदे से ही होगा। वे मशीनें जो उस वक्त आईं, वे विभिन्न प्रकार की आईं, अब प्रोडक्शन कहां से होगा?

SHRI K.R. MALKANI: Will the hon. Minister please enlighten the House as to how many fertiliser companies are there in the country—how many in the private sector and how many in the public sector? As regards these sick units, how many of them are in the public sector and how many of them are in the private sector? On the Profit and Loss Account also what is the position in respect of the two sectors?

श्री शीश राम ओला: सभापति जी, जो सवाल था, उसका उत्तर तो मैंने दे दिया। माननीय सदस्य ने जो बिल्कुल नया सवाल प्रस्तुत किया है, यदि ये सवाल पूछेंगे या कोई आधे घंटे की डिबेट की इजाज़त लेंगे आपसे तो इस वक्त मैं उसका उत्तर दूंगा। अभी कैसे दे सकता हूं कि कहां कितना नुकसान हुआ, कितना लाभ हुआ?

SHRI NILOTPAL BASU: Mr. Chairman, Sir, earlier one of the supplementary questions was whether the Government was considering pumping back surplus funds from profitable fertiliser units like KRIBHCO and IFFCO for revival of sick units. I would like to know how much profit has been earned by KRIBHCO, IFFCO and NFL during the last five years. Of course, NFL subsequent to that scam and corruption, has also become a sick unit. Then, as a result of that profit, how much tax had these units to pay? Also, instead of paying that tax if the funds had been pumped into these units for their revival, what would have been the effect?

श्री शीश राम ओला: सभापति महोदय, मैंने सारे उत्तर दे दिये हैं। यह 384 और ...**(व्यवधान)**...

श्री मोहम्मद सलीम: आज तक किसी मंत्री ने ऐसा नहीं कहा कि मैंने सारे उत्तर दे दिये हैं।

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, this is related to revival. It is very unfair, Sir. You have to protect us, Sir. This is the proposal that was there, as to how to revive these units. Only a part of the money that we are spending for import of fertilisers, would have been required for

reviving these sick units. The other question was about pumping back the surpluses made by profitable units, which is an accepted practice all over the world. How is he answering? *(Interrruptions)*.

MR. CHAIRMAN: Please sit down. The Minister is answering.

श्री शीश राम ओला: सभापति महोदय, मुझसे जो क्वश्चयन पूछा गया है, वह यह पूछा गया है कि Will the Minister of Chemicals and Fertilizers be pleased to state: (a) the number of fertiliser units which are referred to the BIFR; (b) the reasons therefor:; (c) whether Government propose to review the plants/units in order to save the employment of the local people; (d) if so, the details thereof; and (e) if not, the reasons therefor? सभापति महोदय, मैंने आपकी अनुमति से इन सब प्रश्नों के उत्तर दे दिये है। अब क्वश्चन हल्दिया का आया है। अगर माननीय सदस्य यह प्रश्न मुझसे पूछेंगे तो मैं उत्तर दूंगा।

SHRI NILOTPAL BASU: Let there be a half-an-hour discussion on this, Sir. (*Interruptions*) He is avoiding, Sir. My question arises out of his statement on revival of those units, as to how to revive those units.

SHRI S.B. CHAVAN: Mr. Chairman, Sir, I was surprised that the hon. Minister was trying to avoid the answer by merely saying that we are on this side or that side. Whether we are sitting on this side or on that side it doesn't make any difference. Ultimately, the Haldia fertiliser unit could not be commissioned. The question that was asked was about fixing the responsibility. If it was an out-dated technology, if the plant could not even be commissioned and it had gone to BIFR, then it was a very serious matter. So, we must fix the responsibility on whosoever is responsible. It doesn't make any difference whether we are sitting on this side or that side. Government is a continuous kind of organisation. That is why I would expect the hon. Minister to tell us as to what exactly the reasons were and who was responsible for importing this kind of out-dated technology. The responsibility must be fixed. Who is responsible? you have to reply that. If the reply is not readily available, you can give it later. But what does it mean when you say that we are sitting on that side and that is why you are not prepared? I don't think this kind of a reply is going to satisfy any section of the House. That is why I would request you most humbly to kindly go into it and try to find out right from the beginning whether this out-dated technology has been brought and who has brought it. Fix the responsibility and let us know. (*Interruptions*)

एक माननीय सदस्य: जवाब दे दिये हैं।

श्री मोहम्मद आज़म खान: इसका उत्तर दे दिया है। ...(**व्यवधान**)...

श्री शीश राम ओला: सभापति जी, माननीय चव्हाण साहब बहुत श्रद्धेय है और बड़े-बड़े पदों पर विराजमान रहे हैं। मेरी निगाह से मैं उनको कोई गलत उत्तर देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि हल्दिया प्रोजेक्ट 1972 में शुरू किया गया, किन्हीं कारणों से, तकनीकी कारणों से, बिजली...(**व्यवधान**)... अगर एक बात सुनेंगे तो मैं अर्ज करूंगा, मैं एक साथ सारी बातें तो नहीं बोल सकता हूं। इसको खासतौर से बंगाल गवर्नमेंट ने बिजली देने का वायदा किया था, वह बिजली नहीं दी गई। तकनीकी कमी रही, इसके लिए 13 कन्ट्रीज से मशीनें आई, 13 प्रकार की मशीनें उसमें लगीं, इसलिए वे मशीनें ठीक प्रकार से नहीं लगने से...(**व्यवधान**)...यह शुरूआत का एक कारखाना था। यह शुरूआत का कारखाना होने की वजह से इसकी तकनीक उतनी सही नहीं थी और सही प्रकार से इसका उपयोग नहीं हो सका। यह इसका कारण रहा है। इस पर निसन्देह बड़ा नुकसान हुआ है, यह राष्ट्र के हित में नहीं है, यह नुकसान नहीं होना चाहिए था। इसका चार-पांच बार उत्तर आ गया। चव्हाण साहब मैं आपको सभापति महोदय के माध्यम से अर्ज कर रहा हूं कि चार-पांच बार यही उत्तर इसके आये हैं। इसके अलावा आपका कोई और सजेशन है तो आप बतायें, उस पर हम विचार करेंगे।

श्री सोमपाल: जिम्मेदारी फिक्स करो।

MR. CHAIRMAN: Shri Jayant Kumar Malhotra...(*Interruptions*)...

SHRI VIRENDRA KATARIA: Sir, the Minister should fix the responsibility. My supplementary still remains unanswered.

MR. CHAIRMAN: It is a heavy heritage for the Minister to answer.

SHRI JAYANT KUMAR MALHOUTRA: Sir, the answer, the hon. Minister has given on technology is rather amateurish. I don't think, Members of this House are satisfied with it. There are many plants, all over the world, which are not only of 1972 and eighties', but much earlier—even in America—running, and there is no question of that technology not functioning. In most of these situations what has failed is the management. I feel that an indepth study should be made before a proper answer is given. There are plants, even in India, which are of 1954, 1960 and since then they are running. Technology is constantly being upgraded, it is not something that has to be written off or scrapped. Therefore, the plant which was imported—whether it was from one country or 15 countries, it does not matter—because many of these large plants do need different types of equipment from different countries. Even now, chemical plants are coming up and you have different technologies matching within the total project and they function. What has happened, apparently, in Haldia is a total collapse of management and I think the hon. Minister should have an indepth study and come back with a proper answer to this august House.

श्री शीश राम ओला: सभापति जी, इससे पहले जैसा मैंने आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से चार-पांच बार इस हाउस में निवेदन किया कि जो क्वेश्चन पूछे गये हैं उनका वही उत्तर है। ये 1972 से शुरू हुआ, इतना पुराना यह मसला है...(व्यवधान)... मुझे तो कहने दो या आप अपने मुंह से बोलेंगे। मुझे तो कहने दो फिर आप बोलिये।...(व्यवधान)... इसलिए इस कारखाने में उस वक्त जो कार्यरत थे वे चले गये, कई सभी इस संसार में ही नहीं रहे और कभी किसी न किसी की जिम्मेदारी आज तक निर्धारित नहीं की है। आज तक यह इसी प्रकार से 1972 से चलता रहा। चव्हाण साहब को थोड़ी सी नाराजगी तो हुई। यह 1972 में कारखाना शुरू हुआ और आज 1997 में आप जिम्मेदारी पूछ रहे हैं, इस बीच में क्या हुआ? उनको जिम्मेदारी तय करनी चाहिए थी जो बीच में शासन में रहे। इसलिए इसकी जिम्मेदारी आज तय करना उचित नहीं है क्योंकि यह 1972 से चला आ रहा है। मैं इसमें कहीं दोषी नहीं हूं, नजदीक नहीं हूं, मेरा कोई लेन-देन नहीं है।...(व्यवधान)...

SHRI MD. SALIM: Sir, we want a Half-an-Hour Discussion on it. The Minister should come prepared so that we would have an opportunity to put questions. We want a Half-an-Hour Discussion on it.....*(Interruptions)*...

SHRI JAYANT KUMAR MALHOUTRA: They don't understand technology....*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, unless you protect us by allowing a Half-an-Hour Discussion, this is wastage ....*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: The question is how to save this thing, Mr. Minister ....*(Interruptions)*...

Question Hour is over

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

मध्य प्रदेश की संस्थाओं द्वारा केन्द्रीय अनुदानों की राशि का दुरूपयोग किया जाना

*382. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश की उन निजी सामाजिक एवं शैक्षिक संस्थाओं के नाम क्या हैं जिनको वर्ष 1991-92 से 1995-96 तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अनुदान दिये गये हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक संस्था को प्रति वर्ष कितनी राशि किन-किन प्रयोजनों के लिये दी गयी है; और

(ग) इनमें से उन संस्थाओं के नाम क्या हैं जिनके द्वारा अनुदानों की राशि के दुरूपयोग करने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?